



राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या- 410/2012जिला.....सिरोही

उनवान- सहायक आयुक्त विशेष वृत्त-पाली बनाम मैसर्स मोडर्न इन्सुलेटर्स लिमिटेड, आबूरोड़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.06.2017	<p style="text-align: center;">खण्डपीठ श्री खेमराज, अध्यक्ष श्री के.एल.जैन, सदस्य</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी विभाग की ओर से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त प्रतिकरापवंचन भरतपुर ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण को विद्वा करने का निवेदन किया। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री डी.पी.ओझा उपस्थित।</p> <p>उप राजकीय अभिभाषक ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त प्रतिकरापवंचन भरतपुर के प्रार्थना पत्र के आधार पर निवेदन किया कि प्रकरण में प्रत्यार्थी राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित एमेनेस्टी स्कीम के तहत लाभ प्राप्त कर लिया है, इसलिए कोई मांग बकाया नहीं है इस कारण विभाग हस्तगत प्रकरण को विद्वा करने की अनुमति चाहता है तथा विभागीय प्रतिनिधि द्वारा भी प्रकरण विद्वा करने का निवेदन किया गया।</p> <p>अपीलार्थी राजस्व के प्रार्थना पत्र व विभागीय प्रतिनिधि के अनुरोध पर प्रकरण विद्वा करने की अनुमति प्रदान की जाती है।</p> <p>अतः प्रस्तुत अपील जरिये विद्व्रावल खारिज की जाती है। निर्णय सुनाया गया।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर </div> <div style="text-align: center;">  अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड अजमेर </div> </div>	